

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक,
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय,
सौनहा, लखीमपुर-खीरी।

कृपया आपके संस्थान "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, लखीमपुर-खीरी के अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण एलएफएम. राधेश्याम पाल द्वारा कराया गया।

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था-

- 1-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता-6 किग्रा0 4 अदद।
- 2-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता-5 किग्रा0 2 अदद।
- 3-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता-4 किग्रा0 10 अदद।
- 4-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता-2 किग्रा0 4 अदद।
- 5-CO₂ फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता-4.5 किग्रा0 2 अदद।

सुरक्षा निर्देश-

- 1-आवेदक/स्वामी/प्रबंधक को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-3 व पार्ट-4 में उल्लिखित समस्त ढाँचागत एवं अग्निशमन व्यवस्था कराकर शासनादेश संख्या-1765/छ:पु0-8-2017-905(34)/2016 दिनांक:फरवरी 16, 2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाना वांछनीय/अनिवार्य होगा।
- 2-नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुसार संस्थान में सेटबैक व पहुँच मार्ग तथा पलायन मार्ग वांछनीय है।
- 3-संस्थान में स्थापित/वांछनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं को कराने के बाद में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्रों की जाये तथा अविलम्ब पाई गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।
- 4-प्रत्येक माह में एक बार विद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमर्जेंसी इवाकुएशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया जाये।
- 5-वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने के सम्बन्ध में निरीक्षण कराया जाये।
- 6-संस्थान में स्थापित/वांछनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अपूर्ण एवं अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबंधक का होगा।

स्वामी/प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, लखीमपुर-खीरी में उपलब्ध व वांछनीय एवं ढाँचागत अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को कार्यशील दशा में बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबंधक का स्वयं का होगा।

(मुकीमुल हक) 26/6/21
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-खीरी

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी लखीमपुर को सूचनार्थ।